



एरोड्रोम सेफगार्डिंग विभाग, प.क्षे.
DEPT. OF AERODROME SAFEGUARDING

अंतरकार्यलय टिपण्णी / INTER OFFICE NOTE

संख्या : भाविप्रा/क्षे.मु./प.क्षे./ डी.ओ.ए.एस./आरटीआई/केस -177/2025/30 दिनांक : 13/05/2025

विषय: श्री. अर्जुन जतिन कुमार द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र के संदर्भ में।

- संदर्भ: (1) PIO, WR email dated 05 May 2025 12:20
(2) RTI application No. Nil dated 21/04/2025.
(3) Third Party letter No. Nil dated 09/05/2025

आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के खंड 11 (3) के तहत इस कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि तीसरे पक्ष (एक्स्टसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड) ने आरटीआई आवेदक को जानकारी प्रदान करने के लिए सहमति नहीं दी है।

Under section 11(3) of RTI Act 2005, the information sought by the RTI Applicant can't be provided by this office as the Third party (Ecstasy Reality Pvt. Ltd.) has not given consent to provide the information to the RTI applicant.

प्रमोद सिन्हा

(प्रमोद के. सिन्हा)

उप महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे.

एरोड्रोम सेफगार्डिंग विभाग, प.क्षे.

कृते महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे. एवं डीमड पी०आय०ओ०

*अति. संभवतः
13/05/25
obj: gm (atm) wr*

[Through: GM (ATM) WR - Deemed PIO]